(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा ।

055-सांगानेर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के निर्यम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि-

श्री भजन लाल शर्मा (नाम)

ग्राम अटारी, तहसील नदबई, जिला भरतपुर (राज.) हाल निवासी-फ्लैट नम्बर 705, बालाजी टावर- ।।।, ईएचसीसी हॉस्पिटल, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर (राज.) (पता)

जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त/रिजस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान राजस्थान कॉलेज, जयपुर दिनांक 03.12.2023

Scanned with CamScanner

Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan state from the 055-SANGANER Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that –

Shri BHAJAN LAL SHARMA (Name)

VILAGE ATARI, TEHSIL NADBAI, DISTRICT BHARATPUR, (RJ.), PRESENT RESIDENCE – FLAT NO. 705, BALAJI TOWER-III, EHCC HOSPITAL, NEAR JAWAHAR CIRCEL, JAIPUR (RJ.) (Address)

sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY (name of the recognised/registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Sub Divisional Afficial and

Magistrate Sanganer

Place: RAJASTHAN COLLEGE, JAIPUR

Date: 03.12.2023

Scanned with CamScanner